सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई /179 10 दिसम्बर 2024

क्रेडिट गारंटी योजना – I, II & III

सीजीटीएमएसई की सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं (एमएलआई)

<u>परिपत्र सं.241/2024-25</u>

महोदया/प्रिय महोदय,

महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के संबंध में
<u>गारंटी कवरेज की सीमा को 85% से बढ़ाकर 90% तक किया जाना</u>

कृपया हमारे 30 नवंबर, 2022 के परिपत्र संख्या 209/2022-23 का संदर्भ लें जिसमें महिला उद्यमियों को स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाकर 85% कर दी गई थी। देश के आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुए और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को इस सेगमेंट में अपने ऋण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महिला उद्यमियों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी कवरेज की सीमा को बढ़ाकर **90%** करने का निर्णय लिया गया है।

उधारकर्ता की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गारंटी कवरेज की संशोधित सीमा निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th rowspan="2">श्रेणी (ट्रेडिंग गतिविधि सहित)</th><th colspan="3">गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा जहां गारंटीकृत क्रेडिट सुविधा है</th></tr>
<tr><th>₹5 लाख तक</th><th>₹5 लाख से अधिक और ₹50 लाख तक</th><th>₹50 लाख से अधिक और ₹500 लाख तक</th></tr>
<tr><td>सूक्ष्म उद्यम</td><td>85%</td><td>75%</td><td rowspan="2">75%</td></tr>
<tr><td>पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एमएसई, जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>महिला उद्यमी / अग्निवीरों द्वारा प्रवर्तित एमएसई</td><td colspan="3">90%</td></tr>
<tr><td>आकांक्षी जिले में स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी/एमएसई/जेडईडी प्रमाणित एमएसई/दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)</td><td colspan="3">85%</td></tr>
<tr><td>उधारकर्ताओं की अन्य सभी श्रेणियां</td><td colspan="3">75%</td></tr>
<tr><td colspan="4">भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित किए गए ऋण की कमी वाले जिलों (आईसीडीडी) में स्थित एमएसई के लिए गारंटी कवरेज की सीमा लागू गारंटी कवरेज के ऊपर और अतिरिक्त 5% है (अर्थात 75% के गारंटी कवरेज के लिए, कवरेज 80% , 80% के लिए यह 85% , 85% के लिए यह 90% और 90% के लिए यह 95% का कवरेज होगा)।</td></tr>
</table>

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)
1ली मंजिल, सिडबी स्वावलंबन भवन, एवेन्यू 3, लेन 2, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051.
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (Set up by Government of India & SIDBI)
1st Floor, SIDBI Swavalamban Bhavan, Avenue 3, Lane 2, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.
+91-22-67531553 | www.cgtmse.in | 1800 222 659 @CGTMSEOfficial CGTMSE Youtube Channel @CGTMSEOfficial

गारंटी कवरेज की सीमा में वृद्धि के लिए संशोधित दिशानिर्देश 01 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद जारी की गई सभी गारंटी पर लागू होंगे। हालांकि, यह संशोधित दिशानिर्देश क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत पहले से ही कवर किए गए मौजूदा कार्यशील पूंजी खातों की वृद्धि के मामले में लागू नहीं होगा।

क्रेडिट गारंटी योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबन्धक